मधुबन

बनाम

यू पी राज्य

2008 की आपराधिक अपील संख्या

5 मई 2008

**(बैंच सी. के. ठक्कर और डी. के. जैन, न्यायाधीशगण)**

दंड संहिता, 1860, धाराएँ 302, 323, 394 सपठित धारा 34 आईपीसीः हत्या – निचली अदालत ने आरोपी को पिता और पुत्र की हत्या करने का दोषी पाया और उसे धारा 302, 323, 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई- उच्च न्यायालय द्वारा कथित तौर पर अपीलकर्ता के वकील को सुने बिना इसकी पुष्टि की गई। माना गया कि अपीलकर्ता के वकील ने हल्फनामे में बताए गए तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष समय बढाने की मांग की। अपीलकर्ता का वकील स्वर कंठ में संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक प्रस्तुती नहीं दे सके- इन परिस्थितियों में यह उचित होगा यदि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के वकील को सुने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 नवंबर, 1976 की रात में सूचनाकर्ता के भाई और भतीजे पर चार लोगों ने हमला किया, जब वह उन्हें बचाने के लिए गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसके शोर मचाने पर आरोपी भाग गये। सूचनाकर्ता के भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सूचनाकर्ता ने अपने भतीजे को गंभीर हालत में अस्पताल

पहुंचाया और बाद में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूचनाकर्ता के भतीजे ने अस्पताल में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जांच के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 302, 323, 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया। विचारणीय न्यायालय ने आरोपियों को धारा 302, 323, 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। अपीलकर्ता द्वारा उसके विरूद्व की गई अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 21 नवंबर, 2006 को, जब अपील उच्च न्यायालय की डीवीजन बेंच द्वारा सुनी गई तब अपीलकर्ता का वकील स्वर कंठ में सूजन के कारण मामले पर बहस करने में असमर्थ था और लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करते समय उक्त तथ्य अदालत के ध्यान में लाया गया थाः और इस तरह के समर्थन में एक हल्फनामा उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने कहा -

1.1 इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अभिलेखों और कार्यवाहियों का अध्ययन किया गया और देखा गया कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिया गया बयान सही पाया गया है। दिनांक 24-25 नवंबर, 2006 को समय विस्तार के लिए यह आवेदन में कहा गया था कि संलग्न हल्फनामे में बताए गए तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के लिए, लिखित बयान दाखिल करने का समय बढ़ाया जा सकता है। (पैरा 11) (732 - बी, सी)

1.2 ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील स्वर कंठ में संक्रमण के कारण मौखिक प्रस्तुतियां नहीं दे सके। (पैरा 12) (732 - इ, एफ)

2.1 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय की पूर्ति के लिए विवादित आदेश को रद्द करके और मामले को कानून के अनुसार नए निपटान के लि, उच्च न्यायालय में भेजना उचित रहेगा। (पैरा 13) (732 - एफ, जी)

2.2 यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता अभियुक्त के वकील को सुने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे। केवल इस आधार पर अपील की अनुमति दी जाती है। (पैरा 14) (733 - ए, बी)

2.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोषों को दर्ज नहीं किया है और जब भी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर इसका निर्णय करेगा। (पैरा 15) (733 - बी, सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 799/2008

इलाहबाद उच्च न्यायालय, लखनउ खंडपीठ की अपील संख्या 13/1982 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2007 से।

अपीलकर्ता की और से जेड के फेजान, रूबी खान और गुडविल इंदीवर उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से प्रमोद स्वरूप, सावित्री पांडे और अनिल कुमार झा उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय सी के ठक्कर, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील 30 अप्रेल 2007 को आपराधिक संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फेजाबाद द्वारा 22 दिसंबर, 1981, सत्र परीक्षण सख्या 156/1979 को दर्ज किए गए व दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की गई।

3. यह अभियोजन का मामला था कि 15 नवंबर, 1976 की रात जयराम सिंह (मृतक 1) स्टेशन से घर की तरफ लौटे। खाना खाने के बाद वह अपनी पत्नी और बेटे अखिलेश सिंह उर्फ संजय सिंह (मृतक 2) के साथ कमरे में सोने चले गये। उनका छोटा भाई श्रीनाथ सिंह (सूचनाकर्ता) बगल के कमरे में सो रहा था। लगभग साढ़े बारह बजे यानि 16 नवंबर 1976 की सुबह श्री नाथ सिंह ने अपने भतीजे और जयराम सिंह की पत्नी (भाभी) की रोने की आवाज सुनी। दोनों कमरों के बीच का दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि उनके भाई जयराम सिंह और भतीजे अखिलेश सिंह पर चार लोग हमला कर रहे थे। जब श्रीनाथ सिंह ने बीच बचाव की कौशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई और उन्हें चोटें आई। शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया तो हमलावर भाग गए । जयराम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीनाथ सिंह ने पुलिस स्टेशन अयोध्या को सूचना दी और उसी दिन यानि दिनांक 16 नवंबर 1976 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अखिलेश सिंह उर्फ संजय सिंह की हालत गंभीर थी। उन्हें फेजाबाद के जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई इसलिए उन्हें मेडिकल कालेज लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया और 22 नवंबर 1976 को उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फेजाबाद के सामने आया तो उन्होंने 19 मई 1979 को सत्र न्यायालय को सौंपने का आदेश पारित किया। फेजाबाद के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता

धारा 302, 323 और 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप तय किये। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था। विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन का मामला अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुआ था और तदनुसार उन्होंने अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कठौर कारावास की सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने अपीलकर्ता को धारा 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और चार साल के कठौर कारावास और धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए नौ महीने के कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।

4. दोषसिद्वी के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने फिर से सबूतों पर विस्तार से विचार किया और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्वी और सजा के आदेश की पुष्टि की। इस आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

5. यह मामला 17 सितम्बर, 2007 को प्रवेश सुनवाई के लिए रखा गया था। अदालत का ध्यान विशेष अनुमति याचिका के ग्राउंड डी की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने आरोपी के वकील को सुने बिना ही अपील पर फेसला कर दिया था। उपरोक्त तर्क के आलोक में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

विशेष अनुमति याचिका के ग्राउंड नम्बर डी, पृष्ठ 57 में यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय का वकील को सुने बिना अपील पर निर्णय लेना उचित नहीं था। जहां तक विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न उच्च न्यायालय के फेसले की प्रति का सवाल है, इसमें अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है।

उपरोक्त कथन और आधार के आलोक में छह सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें। निचली अदालतों का रिकार्ड और कार्यवाही चार सप्ताह के भीतर मंगवाई जाए ।

6. निचली अदालतों का रिकार्ड और कार्यवाही प्राप्त हो गई है और मामला अंतिम सुनवाई के लिये, हमारे समक्ष रखा गया है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता को सुना।

8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नोटिस केवल ग्राउंड डी के संबंध में था, हमने केवल उस सीमित मुददे पर पक्षों के विद्वान वकील को सुना। जहां तक निर्णय का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न अनुच्छेदों में अपीलकर्ता-अभियुक्त के विद्वान वकील की प्रस्तुतियां दर्ज हैं। फेसले की शुरूआत में, हालांकि, अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है।

9. रिकार्ड और कार्यवाही से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आपराधिक अपील सुनी गई थी व दिनांक 21 नवंबर, 2006 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया -

"ओ. पी. श्रीवास्तव, जे.

एम. के. मित्तल, जे.

श्री एम पी वर्मा अपीलकर्ता की ओर से व श्री एच ए एल्वी वकील राज्य की ओर से सुना गया।

फैसला सुरक्षित रखा गया। इस बीच अपीलकर्ता के वकील की प्रार्थना पर लिखित रूप से तर्क दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाता है।"

10. अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि 21 नवंबर, 2006 को जब अपील पर डीवीजन बैंच ने सुनवाई की, तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील इन्फलुएंजा से संक्रमित स्वर कंठ के सूजन के कारण मामले पर बहस करने में असमर्थ थे। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय के विस्तार के लिए किए आवेदन में भी उक्त तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। इस तरह के दावे के समर्थन में, एक हल्फनामा भी उच्च न्यायालय में दायर किया गया था और यह रिकार्ड और कार्यवाही में मौजूद है।

11. हमने उच्च न्यायालय के समक्ष रिकार्ड और कार्यवाही का अध्ययन किया और हम संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया बयान सही पाया गया है। दिनांक 24/25 नवंबर, 2006 को समय विस्तार के लिए आवेदन में यह कहा गया था कि संलग्न हल्फनामे में बताए गए तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के लिए, लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। साथ में दिये गये हल्फनामें में पैराग्राफ 2 में निम्नानुसार कहा गया -

> "2- यह कि उपरोक्त सीआरएल अपील को माननीय श्री ओ पी श्रीवास्तव और माननीय श्री एम के जे मितल जे जे की खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 21.112006 को सुनवाई के लिए सूचीबद्व किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से इन्फलुएजा से संक्रमित स्वर कंठ में सूजन के कारण अभिसाक्षी के वकील मामले पर बहस करने में असमर्थ थे।"

12. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता स्वर कंठ में संक्रमण के कारण मौखिक प्रस्तुतियां नहीं दे सके।

13. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, यदि हम इस अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रदद करते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय में भेज देते हैं तो न्याय का उददेश्य पूरा होगा।

14. हालांकि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामला दोहरे हत्याकांड का है और गवाह घायल हो गया है, जो अपराध स्थल पर था, जिस पर हमला किया गया था और उसे चोटें आई थी, यह नीचली अदालतों द्वारा माना गया है और उस आधार पर भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारी राय में उपर हमने जो देखा है, उसके आलोक में, यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता–अभियुक्त के विद्वान वकील को सुने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे। केवल इस आधार पर अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रदद किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए निपटान के लिए भेज दिया जाता है।

15. हम देख सकते हैं कि हमने मामले के गुण–दोषों में प्रवेश नहीं किया है और जब भी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा, न्यायालय उस का निर्णय अपने गुण–दोष के आधार पर करेगा।

16 तदनुसार आदेश दिया गया।

अपील की अनुमति दी जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **हेतराम मूंद (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।